साहिबगंज नगर परिषद् कार्यालय, साहिबगंज।

(SBM शाखा)

आम सूचना

पत्रांक 800 /SBM, साहिबगंज, दिनांक– 13/04/18 /

विभागीय अधिसूचना सं० – 1470, दिनांक – 15.03.2016 एवं पत्रांक 1746, दिनांक – 13.11.2017 एवं पत्रांक 434 दिनांक – 19.03.2018 एवं ***SWM Rules – 2016*** के आलोक में नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद् क्षेत्र में सभी घरों एवं प्रतिष्ठानों से डोर – डोर कचरा उठाव की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही साथ कचरे का पृथक्कीकरण (गीला कचरा एवं सूखा कचरा अलग – अलग उठाने) का काम शुरू किया गया है।

अतः सभी नागरिकों से अनुरोध है कि अपने – अपने घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में गीला कचरा एवं सूखा कचरा रखने के लिए अलग – अलग डस्टबीन का उपयोग करेंगे। (गीला कचरा के लिए हरा डस्टबीन तथा सूखा कचरा के लिए नीला डस्टबीन) का उपयोग किया जाए जिससे डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले कर्मचारी को गीला एवं सूखा कचरा संग्रहण में सुविधा होगी। 25 अप्रैल 2018 के उपरांत आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के केवल पृथकृत कचरा ही लिया जायेगा। कचरा यंत्र तत्र फेंकने तथा गंदगी फैलाने पर निर्धारित जुर्माना लिया जाएगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, साहिबगंज
11/04/18

ज्ञापांक 800 /SBM, साहिबगंज, दिनांक 13/4/2018

प्रतिलिपि :– संपादक, प्रभात खबर/दैनिक अखबार/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, साहेबगंज/उपविकास आयुक्त, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित नोडल पदाधिकारी/SBM प्रभारी/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, साहिबगंज
11/4/18